न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 106 / 2019

देवप्रकाश शर्मा, निवासी 3 च 10, आर.एच.बी., शास्त्री नगर जयपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, वैर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 16.10.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री देवप्रकाश शर्मा, निवासी 3 च 10, आर.एच.बी., शास्त्री नगर, जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 29.07.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, वैर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी, वैर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 818 दिनांक 25.09.19 से उपखण्ड अधिकारी, वैर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, वैर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी, वैर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, वैर से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, वैर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। उपखण्ड अधिकारी, वैर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावाधान है। उपखण्ड अधिकारी, वैर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तद्उपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, वैर को प्रेषित की जावे एवं अपीलांट को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगा राम)
जिला कलक्टर
भरतपुर